मु.नं.–51 / 2021 GCMS ID-2021/85 ता.रजु–29.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

प्रदीप कुमार माथुर निवासी श्रद्धा अपार्टमेण्ट, प्लॉट नं. 34, फ्लैट नं. यूजी–2, विक्रम एन्क्लेव, 80 फुट रोड, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, (यू.पी.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.07.2021, 22.07.2021, 29.07.21, 04.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर मंदिर मूर्ति हरदेव जी, कस्बा हिण्डौनसिटी, जिला करौली राजस्थान का रिकार्ड सन् 1945 से सन् 1956 तक तथा 1956 से अब तक। अनुमानित खसरा नंबर 6513–14 है, आदि कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौनसिटी से होने के कारण पत्रांक 243 दिनांक 26.03.2021 द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी का आवेदन आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौनसिटी को अंतरित कर दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित की गई थी। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौनसिटी को अंतरित कर दिया गया है एवं अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौनसिटी के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर, करौली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपीलार्थी, संबंधित अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली